

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू०,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : २८ मार्च, २०१३

विषय: वर्ष २०११ में जनपद मुरादाबाद में बाढ़/अतिवृष्टि से सड़कों/पुलियों की पुनर्स्थापना,
अनुरक्षण/मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्र संख्या-१८७/१३-०१ (२०११-१२)/जे.ए., दिनांक-३१ अक्टूबर, २०११, जो आपको सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित था, के क्रम में नगर निगम, मुरादाबाद के ०९ कार्यों हेतु रू० ४,९८,१५,०००/- का ५० प्रतिशत, धनराशि रू० २,४९,०७,५००/-, निर्माण खण्ड-१ लो०नि०वि० मुरादाबाद के १२ कार्यों हेतु रू० ४,९२,७४,०००/-में से (पीतलनगरी से देवापुर मछरिया मार्ग का सुधार कार्य हेतु रू० २२,०१ लाख को छोड़कर) रू० ४,७०,७३,००० का ५० प्रतिशत धनराशि रू० २,३५,३६,५००/- तथा आर०ई०डी० (पी०एम०जी०एस०वाई०) मुरादाबाद के ०७ कार्यों हेतु रू० २,८७,९१,७०० का ५० प्रतिशत रू० १,४३,९५,८५०/-अर्थात् कुल धनराशि रू० ६,२८,३९,८५०/(रूपये छः करोड़ अठ्ठाइस लाख उन्तालिस हजार आठ सौ पचास मात्र) वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में धनराशि आवंटित की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या-१२९४/प्रा०आ०सहा०-२०१३, दिनांक ११.०३.१३ में मण्डल स्तरीय राहत समिति द्वारा स्वीकृत लोक निर्माण विभाग प्रथम मुरादाबाद के ११ कार्यों की मरम्मत हेतु अवशेष ५० प्रतिशत की धनराशि की मांग की गयी है। अतः अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-१ मुरादाबाद के ११ परियोजनाओं/कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में अवशेष कुल धनराशि रू० २,३५,३६,५००/- (रू० दो करोड़ पैतीस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

३. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।

४. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८/पी०एस०आर०/२०१२, दिनांक २४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.२०१२ में भारत सरकार की

गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

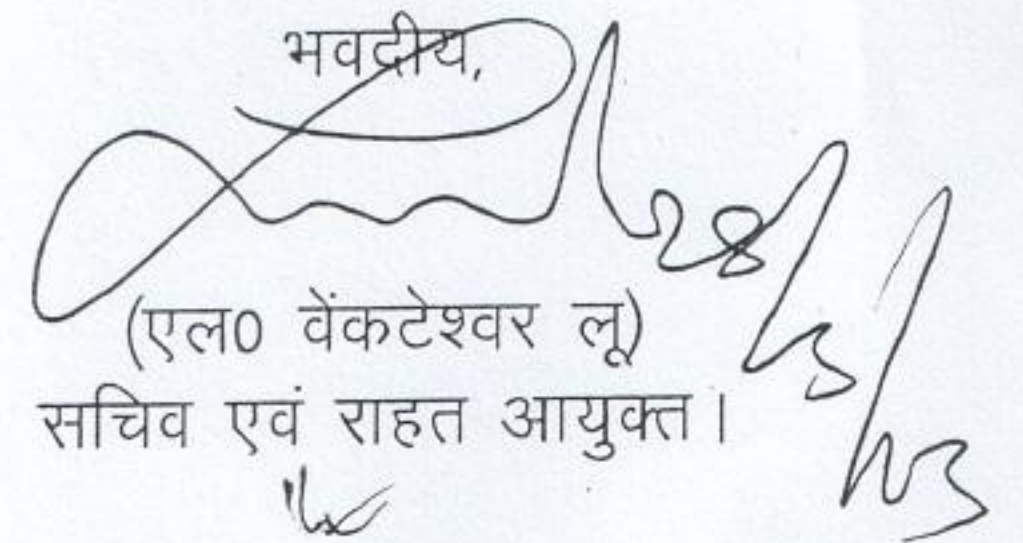
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 1406(1)/1-10-2012-12(34)/2011 टी.सी.-3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- आयुक्त, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

✓